संख्या–पी–40 / 14–2–2017–800 (69) / 2017

प्रेषक,

भूपेन्द्र बहादुर सिंह
अनुसचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक /
नोडल अधिकारी
उ0प्र0, लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2 **लखनऊ, दिनांक 14 जून,2017**

विषयः– आगरा–बाह–कचौराघाट मार्ग (एस0एच0–62) किमी0 चैनेज 81.665 पर ग्राम कमालपुरा के खसरा सं0–155 में बी0पी0सी0एल0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.0771 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या–2084 / आगरा / 11016 / 2015, दिनांक 10 अप्रैल, 2017 का संदर्भ ग्रहण करें।

2– विषयगत प्रकरण के परीक्षणोपरांत निम्न कमियां दृष्टिगोजर हुई, जिसके सम्बंध में आख्या / अभिलेख अपेक्षित हैः–

(1) प्रस्ताव के पृष्ठ–29 पर रक्षित भूसंदर्भित डिजिटल मैप पर प्रयोक्ता अभिकरण के हस्ताक्षर नहीं है।

(2) प्रस्ताव के पृष्ठ–37 पर रक्षित प्रमाण पत्र डी0एफ0ओ0 के हस्ताक्षर नहीं है।

(3) प्रस्ताव के पृष्ठ–71 पर रक्षित प्रमाण पत्र, जो डी0एफ0ओ0 द्वारा हस्ताक्षरित है, में यह नहीं अंकित है कि किस गाटा नं0 / खसरा नं0 की भूमि प्रबंधन की दृष्टि से सी0ए0 वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है?

(4) प्रस्ताव में वैकल्पिक भूमि न होने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।

(5) प्रस्ताव के पृष्ठ–72 पर रक्षित लैण्ड शेडयूल डी0एफ0ओ0 द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है और न तो प्रवेश / निकासी व मध्य की भूमि का अलग–अलग,लम्बाई / चौडाई में विवरण है?

अतः इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार अपेक्षित सूचनायें एवं तत्संबंधी अभिलेख यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

BSingh
(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनुसचिव।